


(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

15/4/24

पत्रावली वकील प्रार्थी के विरुद्ध कानून
पर पेशी में ली गयी वकील प्रार्थी
डा. एच. नोट प्रिन्स कानून के अन्तर्गत
डा. एच. प्रार्थी वकील प्रार्थी द्वारा
नोट प्रिन्स आधार पर खारिज किया
जाता है पत्रावली में ली गयी में गुमप
यैवत मूल वाद सिंहनगर में अध्यापक निवेदन
दिनांक 15/4/24 को भी विरुद्ध किया जा रहा है

पत्रावली प्रिन्स



15/4/24



उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर